रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 298] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 27, 1975/कार्तिक 5, 1897
No. 298] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 1975/KARTIKA 5, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION

(Department of Food)

ORDER

New Delhi, the 27th October 1975

G.S.R. 542(E)/Ess. Com./Sugarcane.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Sugarcane (Control) Order, 1966, namely

1. (1) This Order may be called the Sugarcane (Control) Second Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Sugarcane (Control) Order, 1966, after clause 9, the following clause shall be inserted, namely:—

"9A. *Power of entry, search and seizure.*—(1) The Central Government or the State Government, as the case may be, may authorise any person to enter and search any premises where any accounts, books, registers or other documents belonging to, or under the control of a producer of sugar or his agent, or an owner of a crusher, a power crusher or a khandsari unit or an agent of such an owner, are maintained or kept for safe custody:

Provided that this clause shall not apply to accounts, books, registers or other documents relating to a crusher owned by a grower or a body of growers of sugarcane.

(2) Such person may seize any such accounts, books, registers or other documents if he has reason to believe that a contravention of this Order has been, or is being, or is about to be, committed.

(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1973) relating to searches and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures made under this clause.".

[No. 15-6/75-SPY]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy. (Sugar).

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1975

सा० का० नि० 542 (अ) / आवश्यक वस्तु / गन्ना.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम गन्ना (नियंत्रण) द्वितीय संशोधन आदेश, 1975 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में, खंड 9 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"9 क. **प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति.**—(1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को ऐसे किसी भी स्थान में प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जहां किसी गन्ना उत्पादक या उसके अभिकर्त्ता, या किसी दलित्र (क्रशर), विद्युत्-दलित्र या खंडसारी यूनिट के स्वामी या ऐसे स्वामी के किसी अभिकर्त्ता के या उसके नियंत्रणाधीन कोई खाते, पुस्तकें, रजिस्टर या अन्य दस्तावेजें सुरक्षित अभिरक्षा के लिए रखी गई हैं :

परन्तु यह खंड गन्ना उगाने वाले या उगाने वालों के निकाय के स्वामित्वाधीन दलित्र से सम्बन्धित खातों, पुस्तकों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों को लागू नहीं होगा ।

(2) ऐसा व्यक्ति ऐसे किन्हीं खातों, पुस्तकों, रजिस्टरों या अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण कर सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है ।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) के, तलाशियों और अभिग्रहण से सम्बन्धित, उपबंध, यावत्शक्य इस खंड के अधीन की गई तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे ।"।

[सं० 15-6/75-एस पी वाई]

एस० वी० सम्पत,

संयुक्त सचिव (शर्करा) ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975